संख्याः 67 /X-3-25/1(124)/2020-E-83484

प्रेषक,

कहकशां नसीम,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड,
देहरादून।

वन अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 05 मार्च, 2025

विषयः– जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ़ में मौना–ल्वोशाला–कालापातल मोटर मार्ग के किमी0 10 से इंटर कॉलेज व प्रा0पा0 होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरौ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–1613, दिनांक–13 दिसम्बर, 2024 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ़ में मौना–ल्वोशाला–कालापातल मोटर मार्ग के किमी0 10 से इंटर कॉलेज व प्रा0पा0 होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरौ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन सम्बन्धी (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/42523/2019) प्रस्ताव विधिवत् स्वीकृति हेतु भारत सरकार प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबध में प्रस्ताव की हार्ड प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 संशोधन वर्ष 2023 के प्राविधानों के तहत विधिवत् स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीया,

Signed by
Kahkashan Naseem
Date: 05-03-2025 15:03:33

(कहकशां नसीम)
अपर सचिव।

संख्याः 67 (1)/X-3-25/1(124)/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्र संख्या-1613, दिनांक–13 दिसम्बर, 2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड देहरादून।
4. वन सरंक्षक, दक्षिणी कुमाऊ वृत्त, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Vikram Singh Yadav
Date: 05-03-2025 15:37:46

(विक्रम सिंह यादव)
संयुक्त सचिव।

1 (124) | 2020 67 | X-3-25

कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1613 / 12–1 :देहरादूनः दिनांकः 13 दिसम्बर, 2024

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

237/J.S(F)/24
27/12/24

विषयः– जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ़ के मौना–ल्वेशाल–कालापातल मोटर मार्ग के किमी0 10 से इण्टर कॉलेज व प्रा0पा0 होते हुए मटियाली से प्राचीन मन्दिर कालीरो तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.90 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/42523/2019)

SO-3(F)

सन्दर्भः– भारत सरकार की संख्या –8बी/यू०सी०पी०/06/132/2020/एफ0सी0/ 1585 दिनांक 20.10.2020।

27/12 (विक्रम सिंह यादव) संयुक्त सचिव वन एवं प्रोटोकाल विभाग उत्तराखण्ड शासन

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार द्वारा दिनांक 20–10–2020 से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13–कालापातल दिनांक 30–06–2021 एवं पत्रांक 2778/12–1 दिनांक 14–11–2024 से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गई है–

क्र0सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13–कालापातल दिनांक 30–06–21 से अवगत कराया गया है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13–कालापातल दिनांक 30–06–21 से अवगत कराया गया है कि गैर वन भूमि सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने की शर्त प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1800 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA Rates for 1.8 Ha. area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों	क) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13–कालापातल दिनांक 30–06–21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख–रखाव की धनराशि रु0 6,06,931.00 (छः लाख छः हजार नौ सौ इकत्तीस) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा

कार्यालय प्रमुख सचिव पत्र संख्या 7198/2024 दिनांक 26/12/2024

AS(K)Forest

(अमित कुमार भारती) निजी सचिव–प्रमुख सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तराखण्ड शासन

JS(F)

3076/A.S(F)/2024 23/12/2024

(कहकशां नसीम) अपर सचिव वन एवं पर्यावरण 27/12/24

02.01.25

	के एकल प्लांटेशन से बचें। ख) राज्य सरकार पौधरोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।	की जा चुकी है। **(संलग्नक–1)** **ख)** प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 2778/12–1 दिनांक 14–11–24 से पौधरोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–2)**
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेंखण सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रवधान शामिल किये जा सकते हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13–कालापातल दिनांक 30–06–21 से अवगत कराया गया है कि प्रतीपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत आन लाईन जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–3)**
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** **क)** इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28. 03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 30.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.9 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। **ख)** विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अंतिम रुप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	**क)** प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13–कालापातल दिनांक 30–06–21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 7,60,500.00 (सात लाख साठ हजार पांच सौ) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)** **ख)** प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13–कालापातल दिनांक 30–06–21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अंतिम रुप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–4)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 63 Trees including 11 saplings होगी एवं राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13–कालापातल दिनांक 30–06–21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।

	राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	
7	State Govt. will inform to this office if they pass any order fo rtree cutting and commencement f work before stage II Approval as per guidlines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor & Ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year form the date of such permisssion.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13—कालापातल दिनांक 30—06—21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई—पोर्टल (https://parivesh-nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जाएंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13—कालापातल दिनांक 30—06—21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
9	एफ०आर०ए०, 2006 का पूर्ण अनुपालन समबन्धित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण—पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13—कालापातल दिनांक 30—06—21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जाएंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13—कालापातल दिनांक 30—06—21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति, यदि लागू हो, तो प्राप्त करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13—कालापातल दिनांक 30—06—21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार इस प्रस्ताव में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण आई०आर०सी० मानकों के अनुसार सड़क के दोनों ओर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13—कालापातल दिनांक 30—06—21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले—आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13—कालापातल दिनांक 30—06—21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13—कालापातल दिनांक 30—06—21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13—कालापातल दिनांक 30—06—21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।

16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822 / 13–कालापातल दिनांक 30–06–21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822 / 13–कालापातल दिनांक 30–06–21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822 / 13–कालापातल दिनांक 30–06–21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822 / 13–कालापातल दिनांक 30–06–21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल सं0 11-42/2017-FC दिनांक 29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822 / 13–कालापातल दिनांक 30–06–21 से अवगत कराया गया है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल सं0 11-42/2017-FC दिनांक 29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822 / 13–कालापातल दिनांक 30–06–21 से अवगत कराया गया है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व निर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रुप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का प्रयास किया जाएगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य वन	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822 / 13–कालापातल दिनांक 30–06–21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व निर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रुप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का प्रयास किया जाएगा।

	विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किये जाने एवं मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होने पर सहमत है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13–कालापातल दिनांक 30–06–21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
24	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13–कालापातल दिनांक 30–06–21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in) पर अपलोड कर दी गई है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग एवं अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल द्वारा प्रेषित उत्तरालेख की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु संस्तुति सहित प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या 1613 /12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
2. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmail.com Telefax.05942-236790

पत्रांकः— 2778 /12—1 दिनांक 15/11 /2024

Hand CJ Tamer
Marutal

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः— **जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ़ के मौना—ल्वेशाल—कालापातल मोटर मार्ग के कि०मी० 10 से इण्टर कॉलेज व प्रा०पा० होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरौ तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिए के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रस्ताव के सापेक्ष रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु टोपोशीट मानचित्र, जियोरिफरेन्स मानचित्र तैयार किये गये हैं। उक्त मानचित्र एवं प्राक्कलन संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक :— उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

पतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेशित

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्राक्कलन बावत् जनपद नैनीताल के अन्तर्गत गौना ल्वेशाल कालापातल मोटर मार्ग के कि0मी0 10 ल्वेशाल इण्टर कॉलेज से प्राचीन कालीरो मंदिर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए प्राक्कलन

	कार्य का विवरण	मात्रा ईकाई		दर		योग
	प्रथम वर्ष					
1	[illegible] प्लान (सर्वे डिमार्केशन, के0एम0एल0 फाईल [illegible] स्टॉक की गणना कार्य मृदा परीक्षण कार्य)	1.00	है0	1000.00	प्रति है0	1000.00
2	[illegible]	1.00	है0	969.00	प्रति है0	969.00
3	[illegible] मी0 प्रति है0 193 रु0 मी0 प्रति है0 [illegible]x0.45x1.15	100.00	घ0 मी0	525.00	प्रति घ0 मी0	52500.00
4	[illegible] (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 600 पौध	120.00	पौध	13.43	प्रति पौध	1611.60
5	गड्ढा खुदान कार्य (0-30x0-30x0.45)	100	गडडे	12.00	गडडे	1200.00
6	[illegible] संरक्षण कार्य 1– [illegible] 450 रु0मी0 (450x27=12150.00) (औसत [illegible]– 1x0.30x0.30) 2– [illegible] 2 स0 (2x5000=10000) (औसत [illegible] – 4x2.5x1.00) कुल योग– 22150.00	1	है0	22150.00	प्रति है0	22150.00
7	निरीक्षण कुटिया	1.00	है0	804.00	प्रति है0	804.00
8	[illegible] विकास एव अनुरक्षण कार्य–02 प्रतिशत	1.00	है0	2167.01	प्रति है0	2167.01
9	मूल्यांकन एव अभिलखीरण – 0.50 प्रतिशत	1.00	है0	541.75	प्रति है0	541.75
10	श्रम कल्याण कार्य– 0.50 प्रतिशत	1.00	है0	541.75	प्रति है0	541.75
11	[illegible] क्षेत्र की निगरानी एव निरीक्षण हेतु वाहन किराया, [illegible] रखरखाव ईंधन व अन्य पर व्यय – 01 प्रतिशत	1.00	है0	1083.51	प्रति है0	1083.51
12	कार्यालय व्यय–स्टेशनरी, हार्डवेयर / साफ्टवेयर–01 प्रतिशत	1.00	है0	1083.51	प्रति है0	1083.51
13	अन्य आकस्मिक व्यय–01 प्रतिशत	1.00	है0	1083.51	प्रति है0	1083.51
					योग	**86735.64**
	द्वितीय वर्ष					
1	गड्ढा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)	100.00	गडडे	2.00	प्रति गडडा	200.00
2	[illegible] में बीज बुआई	450.00	रु0 मी0	1.30	प्रति रु0मी0	585.00
3	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 600 पौध	120.00	पौध	1.96	प्रति पौध	235.20
4	पौध ढुलान वाहन द्वारा 50 कि0मी0 दूरी से लोडिंग व अनलोडिंग सहित	100.00	पौध	9.00	प्रति पौध	900.00
5	सिर बोझ ढुलान 03 कि0मी0	100.00	पौध	7.15	प्रति पौध	715.00
6	पौध रोपण	100.00	पौध	3.47	प्रति पौध	347.00
7	निराई गुड़ाई प्रथम बार	100.00	पौध	1.16	प्रति पौध	116.00
8	निराई गुड़ाई द्वितीय बार	100.00	पौध	1.16	प्रति पौध	116.00
9	खाद / रसायन	100.00	पौध	0.35	प्रति पौध	35.00
10	देख–रेख व रख–रखाव 08 माह (कम से कम 05 है0 पर)(9880दर से 08 माह) 05 है0 =15808.00	1.00	है0	15808.00	प्रति है0	15808.00

11	सुर. दीवाल / घेरबाड के बाहर 04 मी0 पट्टी साफ करना	1.00	है0	300.00	प्रति है0	300.00
12	वृक्षारोपण अर्न्तगत प्राकृतिक रूप से उगे पौधों में सिंगलिंग--प्रूनिंग व थावलाबन्दी कार्य (100 प्रति है0)	1.00	है0	18.00	प्रति है0	1800.00
13	वृक्षारोपण क्षेत्र अर्न्तगत प्रति है0 450 कटिंग का रोपण कार्य	1.00	है0	1.15	प्रति है0	517.50
14	मूल्यांकन एवं अभिलेखीरण – 0.50 प्रतिशत	1.00	है0	483.17	प्रति है0	483.17
15	श्रम कल्याण कार्य– 0.50 प्रतिशत	1.00	है0	241.58	प्रति है0	241.58
16	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रख रखाव ईंधन व अन्य पर व्यय -- 01 प्रतिशत	1.00	है0	483.17	प्रति है0	483.17
17	कार्यालय व्यय--स्टेशनरी, हार्डवेयर / साफ्टवेयर--01 प्रतिशत	1.00	है0	483.17	प्रति है0	483.17
18	अन्य आकस्मिक व्यय--01 प्रतिशत	1.00	है0	966.33	प्रति है0	966.33
19	साइन बोर्ड लगाना (3X4 फीट) कम्प्लीट कार्य	1.00	है0	1000.00	प्रति है0	1000.00
					योग	**25332.12**

तृतीय वर्ष– अनुरक्षण कार्य

1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है0 पर (9980 दर से प्रति माह) / 5 है0 = 23712.00	1	है0	23712.00	प्रति है0	23712.00
2	20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति (पौध की कीमत व ढुलान का मूल्य रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा) वास्तविक क्षतिपूर्ति अनुसार मौके पर कार्य किया जायेगा	20	पौध	31.54	प्रति पौध	630.80
3	निराई–गुडाई प्रथम बार	100	पौध	1.16	प्रति पौध	116.00
4	निराई–गुडाई द्वितीय बार	100	पौध	1.16	प्रति पौध	116.00
5	सुरक्षा दीवाल / घेरबाड के बाहर 04 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	300.00	प्रति है0	300.00
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीरण – 01 प्रतिशत	1	है0	335.03	प्रति है0	335.03
7	श्रम कल्याण कार्य– 0.50 प्रतिशत	1	है0	167.51	प्रति है0	167.51
8	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रख रखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय – 01 प्रतिशत	1	है0	335.03	प्रति है0	335.03
9	कार्यालय व्यय--स्टेशनरी, हार्डवेयर / साफ्टवेयर--01 प्रतिशत	1	है0	335.03	प्रति है0	335.03
10	अन्य आकस्मिक व्यय--02 प्रतिशत	1	है0	670.06	प्रति है0	670.06
					योग	**26717.46**

चतुर्थ वर्ष– अनुरक्षण कार्य

1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है0 पर (9980 दर से प्रति माह) / 5 है0 = 23712.00	1	है0	23712.00	प्रति है0	23712.00
2	20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति (पौध की कीमत व ढुलान का मूल्य रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा) वास्तविक क्षतिपूर्ति अनुसार मौके पर कार्य किया जायेगा	10	पौध	31.54	प्रति सैकड़ा	315.40
3	निराई–गुडाई प्रथम बार	100	पौध	1.16	प्रति पौध	116.00
4	निराई–गुडाई द्वितीय बार	100	पौध	1.16	प्रति पौध	116.00

5	... ा दीवाल / घेरबाड के बाहर 04 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	300.00	प्रति है0	300.00
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीरण – 01 प्रतिशत	1	है0	240.12	प्रति है0	240.12
7	श्रम कल्याण कार्य– 0.50 प्रतिशत	1	है0	120.06	प्रति है0	120.06
8	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रख रखाव, ईधन व अन्य पर व्यय – 01 प्रतिशत	1	है0	240.12	प्रति है0	240.12
9	कार्यालय व्यय–स्टेशनरी, हार्डवेयर / साफ्टवेयर–01 प्रतिशत	1	है0	240.12	प्रति है0	240.12
10	अन्य आकस्मिक व्यय–02 प्रतिशत	1	है0	480.24	प्रति है0	480.24
				योग		25880.06
	पंचम वर्ष– अनुरक्षण कार्य					
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है0 पर (9980 दर से प्रति माह)/5 है0 = 23712.00	1	है0	23712.00	प्रति है0	23712.00
2	निराई–गुड़ाई प्रथम बार	100	पौध	1.16	प्रति पौध	116.00
3	निराई–गुड़ाई द्वितीय बार	100	पौध	1.16	प्रति पौध	116.00
4	सुरक्षा दीवाल / घेरबाड़ के बाहर 04 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	300.00	प्रति है0	300.00
5	मूल्यांकन एवं अभिलेखीरण – 01 प्रतिशत	1	है0	240.12	प्रति है0	240.12
6	श्रम कल्याण कार्य– 0.50 प्रतिशत	1	है0	120.06	प्रति है0	120.06
7	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रख रखाव, ईधन व अन्य पर व्यय – 01 प्रतिशत	1	है0	240.12	प्रति है0	240.12
8	कार्यालय व्यय–स्टेशनरी, हार्डवेयर / साफ्टवेयर–01 प्रतिशत	1	है0	240.12	प्रति है0	240.12
9	अन्य आकस्मिक व्यय–02 प्रतिशत	1	है0	480.24	प्रति है0	480.24
				योग		25564.66

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

उपयोगिता प्रमाण पत्र

जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ़ के मौना–ल्वेशाल–कालापातल मोटर मार्ग के कि०मी० 10 से इण्टर कॉलेज व प्रा०पा० होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरौ तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के सापेक्ष उत्तरी गौला वन क्षेत्र के अन्तर्गत मोरपत्यूड़ी कक्ष संख्या 15 में 1.00 है० अवनत वन भूमि में 100 वृक्षों का रोपण किया जा सकता है। यह अवनत वन भूमि रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है।

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

वन क्षेत्राधिकारी,
उत्तरी गौला वन क्षेत्र

डिजिटल मैप –जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मौना ल्वेशाल कालापातल मोटर मार्ग के किमी0 10 ल्वेशाल इण्टर कालेज से प्राचीन कालीरो मंदिर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में वन भूमि हस्तान्तरण

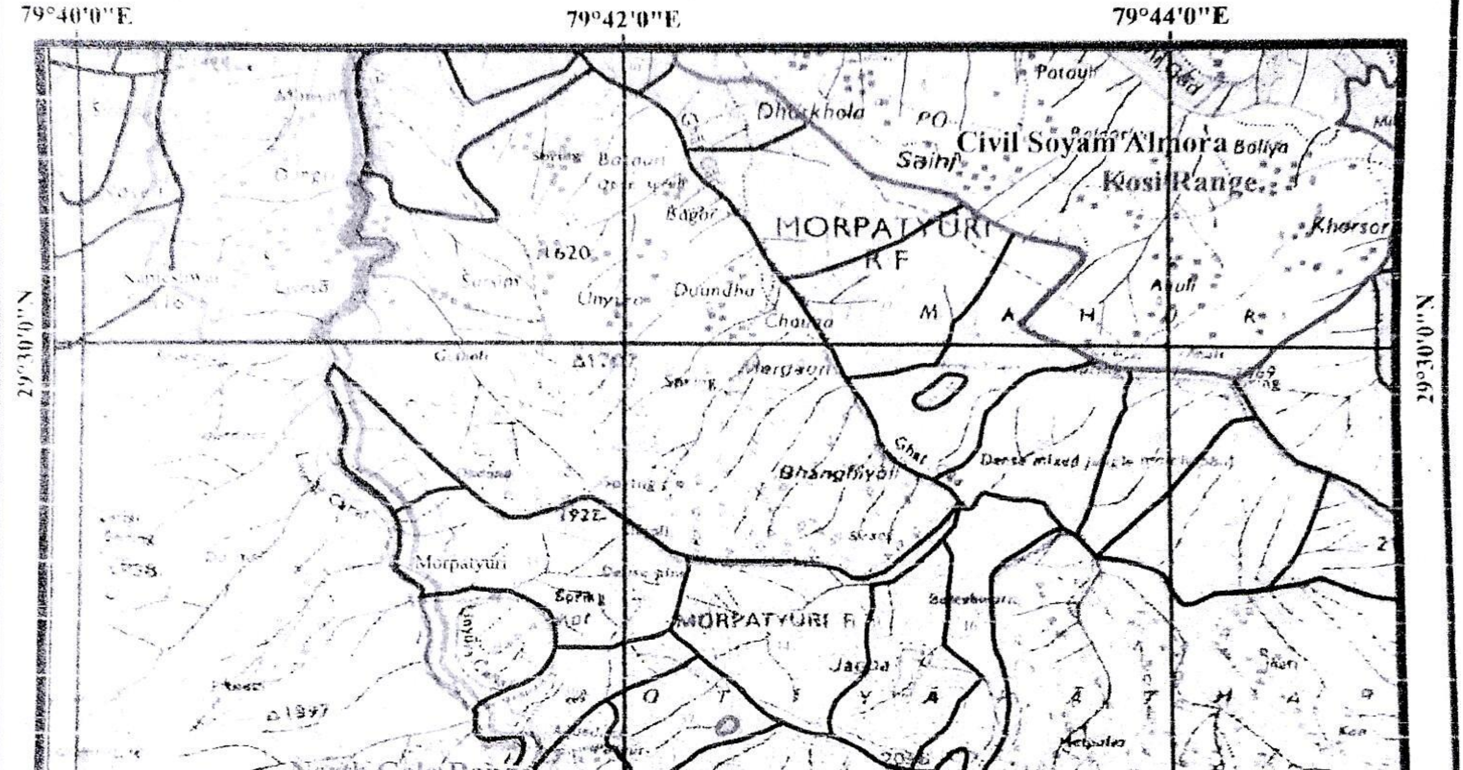

Legend

Proposed CA Land

Division_Boundary

Range_Boundary

Reserve_Forest Boundary

Reserve_Forest Area

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

0 0.375 0.75 1.5 2.25 3
Kilometers

Prepared by: UFTA, Haldwani

जियोरैफरेंसिंग मैप– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मौना ल्वेशाल कालापातल मोटर मार्ग के किमी0 10 ल्वेशाल इण्टर कालेज से प्राचीन कालीरो मंदिर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में वन भूमि हस्तान्तरण

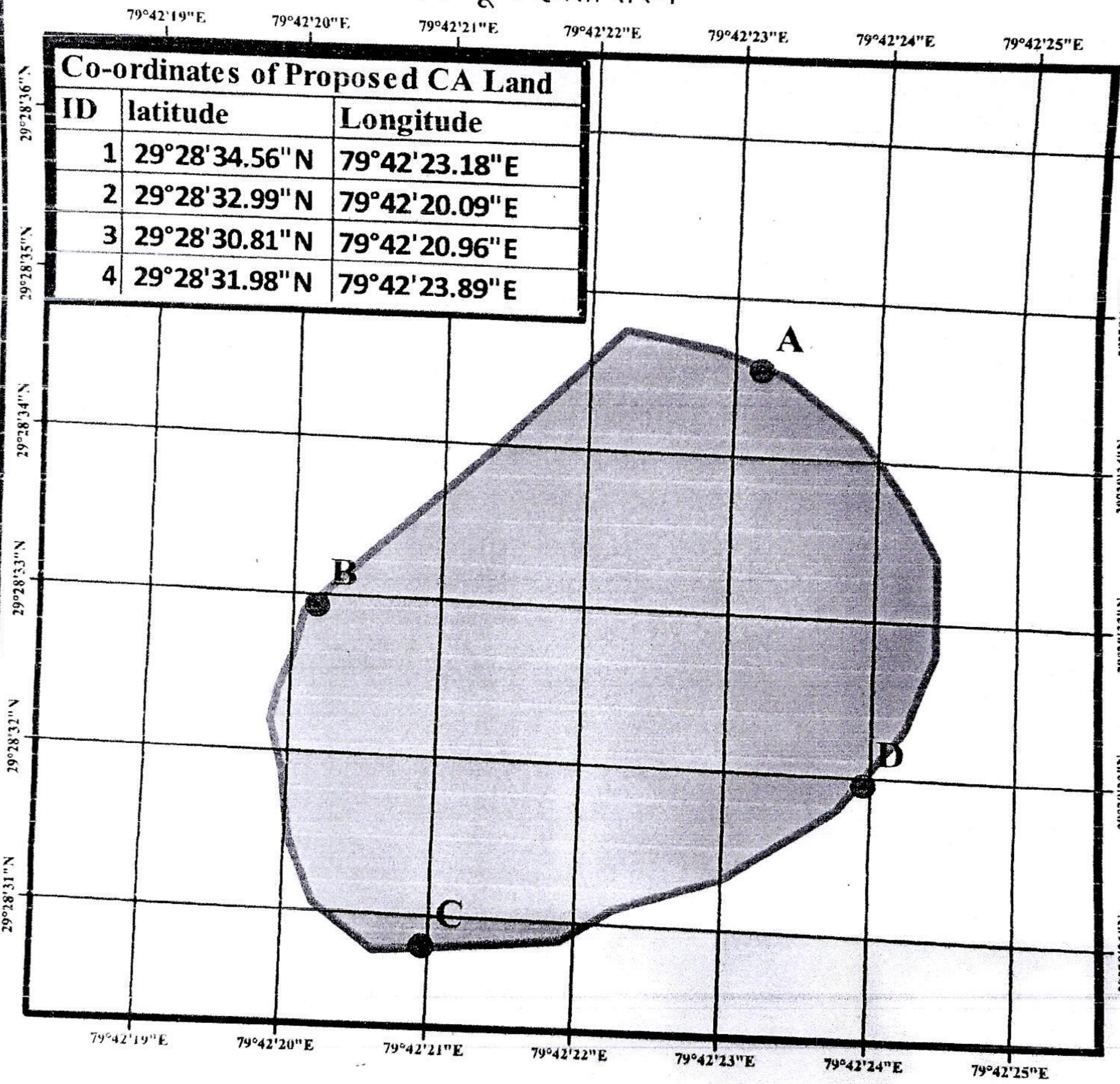

Co-ordinates of Proposed CA Land

ID	latitude	Longitude
1	29°28'34.56"N	79°42'23.18"E
2	29°28'32.99"N	79°42'20.09"E
3	29°28'30.81"N	79°42'20.96"E
4	29°28'31.98"N	79°42'23.89"E

0 0.0075 0.015 0.03 0.045 0.06
Kilometers

Scale - 1:600

Legend

- CA Propose land GPS Point
- CA Propose Land

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

Prepared by:UFTA, Haldwani

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

UTTARAKHAND

Email:-eecdntl.pwduk@gov.in, eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांकः– / दिनांकः–

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, नैनीताल।

विषयः– जनपद नैनीताल में मौना–ल्वेशाल–कालापातल मोटर मार्ग कि0मी0 10 से इंटर कॉलेज व प्रा0पा0 होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरौत तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.90 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– 138/FP/UK/ROAD/42523/2019 देहरादून दिनांक 13.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें नोडल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि, सैद्वानितक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या– 3(ख) के अनुपालन में पौधारोपण की योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं कोऑडिनेट अंकित करते हुये डिजिटल मानचित्र उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है, महोदय, उक्त कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।

अतः अनुरोध करना है कि विषयक प्रकरण में उक्तानुसार कार्यवाही कर आख्या नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि वन भूमि हस्तान्तरण में विधिवत स्वीकृति शीघ्र प्राप्त की जा सके।

भवदीय

(इं0 संजय कुमार पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल

पत्रांकः– 10.38 /18 M.S. दिनांकः– 7-06-24

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्द्रनगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता–द्वितीय, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में व्यक्तिगत सम्पर्क कर अधोहस्ताक्षरी को समय–समय पर उद्यतन स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

उ0नि0सं0/प्रभारी नैनीताल
आ0का0 हेतु,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल
07/06/2024

प्र0व0नि0/नैना
13-6-24

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 132 / FP/UK/ROAD/42523/2019 :देहरादून:दिनांक: 13 जुलाई, 2021

सेवा में,

श्री कुबेर सिंह बिष्ट,
वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमांऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

विषयः–जनपद–नैनीताल में मौना–ल्वेशाल कालापातल मोटर मार्ग के कि0मी0 10 से इण्टर कॉलेज व प्रा0पा0 होते हुए कटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरौ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.90 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल का पत्रांक 9822/13–कालापातल दिनांक 30.06.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी है, प्रेषित की गयी आख्या अपूर्ण है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या–3 (ख) के अनुपालन में पौधारोपण की योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुये डिजिटल मानचित्र उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दु की सूचना को सम्मलित करते हुये सैद्धान्तिक स्वीकृति की परिपूर्ण अनुपालन आख्या ऑनलाईन/ऑफलाईन (शर्तों का अनुपालन कॉलम बनाकर प्रेषित किया जाना है) यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 132 / FP/UK/ROAD/38411/2019 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 30.06.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
2–अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

E-mail:dfonainital_uta@yahoo.com Telefax.05942-236790

पत्रांकः– 9822 /13–कालापातल दिनांक 30/ 6 /2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

विषय :– जनपद–नैनीताल के अर्न्तगत विकास खण्ड रामगढ में मौना–ल्वेशाल कालापातल मोटर मार्ग के किमी0 10 से इन्टर कॉलेज व प्रा0पप0 होते हुये मटियाली से प्राचीन मंन्दिर कालीरौ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन । प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/42523/2019)

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी0/यू0पी0सी0/06/132/2020/एफ0सी0/1585 दिनांक 20.10.2020. एंव आपकी पत्र सं01365/FP/UK/ROAD/42523/2019देहरादून, दिनांक 6.11..2020 अधिशासी अभियंता,निर्माण,खण्ड लो0नि0वि0नैनीताल का पत्रॉक 1272/18 एमजी दिनॉक 22–6–2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें । विषयगत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा निम्न प्रकार कर किया गया हैं ।

1– शर्त न0 3(क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव की धनराशि रू0 6,06,931.00 (रू0 छः लाख छःहजारः नौ सौ इक्तीस) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी हैं। संलग्नक–1 व 2

2– शर्त न0 5(क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रूपया 7,60,500.00(रू0 सात लाख साटी हजार पॉच सौ)मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी हैं । संलग्नक–1 व 2

शर्त न0 5(ख) के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। संलग्नक–4

3–शर्त न0 7 के अनुपालन में State govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work befor stage II approval as per guidelines para 11.2 The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year form the date of issue of such permission. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई हैं।

4–शर्त न0 9 के अनुपालन में एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निधारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई हैं।

5–शर्त न0 10 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमय साइनेज लगाए जाएंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई हैं।

6–शर्त न0 11 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नही के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया हैं ।

7–शर्त न0 16 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई हैं।

8–शर्त न0 20 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देष फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई हैं।

9–शर्त न0 21 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई हैं।

10–शर्त न0 22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे । राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षय में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलुवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एंव पुनजीवित करने का कार्य किया जायेगा । मलेवे को यथा स्थान रचाने हेतु दीवों बनाई जाएगी । निस्तारण स्थलो को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इसका स्थिलीकरण एवं सुधार कार्य योजना अनुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार की सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित अन्य शर्तो का अनुपालन आख्यॉ प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत की गई हैं । प्रयोक्ता एजेन्सी का पत्र मय संल्गनक के संलग्नक किया जा रहा हैं ।

संलग्नक– यथोपरि

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल ।

पत्रांक /उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि – वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊ वृत नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि :–अधिशासी अभियंता,निर्माण,खण्ड लो0नि0वि0नैनीताल को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

☎ :05942 –235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांक– 1272 / 18 mz दिनांक–22/06/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषय:– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ में मौना–ल्वेशाल कालापातल मोटर मार्ग के कि0मी0 10 से इन्टर कॉलेज व प्रा0पा0 होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरो तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.90 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन, (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/42523/2019)

संदर्भ:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक /FP/UK/ROAD/42523/2019 दिनांक

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 08बी0/यू0सी0पी0/06/132/2020/एफ0सी0/1585 दिनांक 20.10.2020 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्तो के अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत प्रेषित है:–

1– शर्त संख्या–1, के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

2– शर्त संख्या–2, के अनुपालन में परियोंजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि (नापभूमि) को अधिग्रहित कर लिया गया है।

3– शर्त संख्या–3, प्रतिपूरक वनीकरण:– (क) खण्ड द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1800 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों के आधार) रू0 6,06,931.00 (छः लाख छः हजार नौ सौ इक्कतीस मात्र) वन विभाग के पक्ष में इस कार्यालय के पत्रांक 752/कैश दिनांक 31.03.2021 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक नैनीताल से नैफ्ट/आर0 टी0जी0एस0चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। (संलग्नक–01 से 02) वन विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा, तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।

(ख) इस बिन्दु से संबंधित वांछित आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

4– शर्त संख्या–04 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत आन लाईन जमा करा दी गयी है। (संलग्नक–03)

5– शर्त संख्या–05 शुद्ध वर्तमान मूल्य:– (क) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रि0पि0(सि0) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिरनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0(14.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार मू0 7,60,500.00 (रू0 सात लाख साठ हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि 0.90 हैक्टयेर वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य/ एन0पी0बी0 आन लाईन जमा करा दिया गया है। (संलग्नक–03)

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को जमा करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक–04)

6– शर्त संख्या–06 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 63 trees including 11 saplings होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी का बचनबद्धता प्रमाण पत्र। (संलग्नक–05)

7– शर्त संख्या–07 के अनुपालन में "State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage-II, approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that on further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission ".शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8– शर्त संख्या–08, के अनुपालन में समस्त धनराशि ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राविधकरण फण्ड में स्थानान्तरित/ जमा किया गया है। कैम्पाकोष में जमा प्रति संलग्न है। (संलग्नक–03)

9– शर्त संख्या–9 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006, का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

10– शर्त संख्या–10 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साईनेज लगाया जायेगा।

11– शर्त संख्या–11 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

12– शर्त संख्या–12 के अनुपालन में आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ा दी जायेगी।

13– शर्त संख्या–13 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

14– शर्त संख्या–14 के अनुपालन में वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

15– शर्त संख्या–15 के अनुपालन में मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।

16– शर्त संख्या–16 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर ही भूमि पर सीमांकन कराया जायेगा।

17– शर्त संख्या–17 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

18– शर्त संख्या–18 के अनुपालन में वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।

19– शर्त संख्या–19 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रतयावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

20– शर्त संख्या–20 के अनुपालन में इनमें, से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या–11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उसपर कार्यवाही होगी, मान्य है।

21– शर्त संख्या–21 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी मान्य है।

22– शर्त संख्या–22 के अनुपालन में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण पूर्व प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्रत मलवा नहीं फैंका जायेगा।

23– शर्त संख्या–23 के अनुपालन में यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश/ आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी, मान्य है।

24– शर्त संख्या–24 के अनुपालन में यह रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर प्रेषित की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक के अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार। तीन–तीन हार्ड प्रतियां कुल 6 पृष्ठ।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल

पत्रांकः- / दिनांकः–

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियंन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल

संलग्नक - 1

UTTARAKHAND

नैनीताल।

☎ :05942 –235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांकः— 752/ कैम्प

दिनांकः— 31/03/2021

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक,
मल्लीताल, नैनीताल।

विषयः— बैंकर्स चैक संख्या 179309 दिनांक 30/03/2021 को Neft/Rtgs द्वारा दिये गये चालान के अनुसार भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विष्यक अवगत कराया जाना है कि, खण्ड के अन्तर्गत नव स्वीकृत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ में मौना–ल्वेशाला–कालापातल मोटर मार्ग के कि0मी0 10 में इण्टर कॉलेज से प्रा0पा0 होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरों तक मोटर मार्ग में एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का भुगतान वन विभाग के कैम्पा कोष में रू0 13,67,431.00 मात्र का Neft/Rtgs चालान के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु ऑन लाईन चालान जनरेट हुआ है, जिसमें उसका खाता अंकित है, में Neft/Rtgs के माध्यम से धनराशि जमा की जानी है।

अतः उक्तानुसार बैकर्स चैंक सं0 179309 दिनांक 30/03/2021 रू0 13,67,431.00 मात्र (तेरह लाख सड़सठ हजार चार सौ इकतीस) एवं ऑन लाईन के माध्यम से जनरेट चालान की प्रति सहित मूल में संलग्न कर भुगतान किये जाने हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है, कृपया जनरेट चालान के अनुसार अंकित खाते में यह धनराशि Neft/Rtgs के माध्यम से हस्तान्तरित करने की कृपा करें।

संलग्नः— 1— बैंकर्स चैक संख्या 179303 दिनांक 30/03/2021 रू0 13,67,431.00 मूल में।
2— ऑन लाईन के माध्यम से जनरेट चालान — 03 प्रति में।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल

0/c

Prachin Kaliro MR.

No. 320 C
Date ...

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 08-03-2021

Agency Name.	EE CD NAINITAL
Application No.	6142523828
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/132/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction division, P.W.D. NainitalNainital
Amount(in Rs)	1367431/-

Amount in Words :Thirteen Lakh Sixty-Seven Thousand Four Hundred and Thirty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	[illegible] Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 08-03-2021

Agency Name.	EE CD NAINITAL
Application No.	6142523828
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/132/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction division, P.W.D. Nainital Nainital
Amount(in Rs)	1367431/-

Amount in Words :Thirteen Lakh Sixty-Seven Thousand Four Hundred and Thirty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	[illegible] Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.com

Executive Engineer
Construction Div. P. W. D.
NAINITAL.

Executive Engineer
Construction Div. P. W. D.
NAINITAL.

संलग्नक-3

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ Help

Proposals received on or after 15th July 2014

GET LIST

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/39655/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/39655/2019) Construction of approach road from Nawali from Km. 11 of Laxmikhan-Nathuwakhan-Pura-Qurab motor road to Losgayani in Ramgarh Block of District Nainital	ROAD396552019996	6139655996	27 Jan 2021	**CA:** 631208/-, **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/-, **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/-, **Addl PA :** 0/- **NPV:** 614952/-, **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 1246160/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 07 Mar 2021 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 08 Mar 2021 **Transaction Date** : 31 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/21126124712124CHF3dimondnotnawli.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD396552019996)
2	FP/UK/ROAD/42523/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/42523/2019) Construction of motor road from Matiyali to Prachin Mandir Kaliro through Km. 10 of Mauna-Lweshal- Kalapatal and Prathmik Pathshala in Ramgarh Block under Nainital district.	ROAD425232019828	6142523828	20 Oct 2020	**CA:** 606931/-, **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/-, **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/-, **Addl PA :** 0/- **NPV:** 760500/-, **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 1367431/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 09 Feb 2021 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 08 Mar 2021 **Transaction Date** : 31 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1112812321212EAY32dimonadnotpracheenkaliro.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD425232019828)
3	FP/UK/ROAD/46607/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/46607/2020) New construction of motor road from Pangkatara to Khalar under developmental Betalghat of Vidhan Sabha constituency of Nainital district under state plan	ROAD466072020603	6146607603	18 Feb 2021	**CA:** 1153169/-, **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/-, **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/-, **Addl PA :** 0/- **NPV:** 1444950/-, **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 2598119/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 09 Mar 2021 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 15 Mar 2021 **Transaction Date** : 31 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/3118123812193I1ICdemandnot.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD466072020603)

Photo Copy Attested
Photocopy attested
Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D. Nainital.

संलग्नक–4

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ में मौना–ल्वेशाल कालापातल मोटर मार्ग के कि0मी0 से इन्टर कॉलेज व प्रा0पा0 होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरौ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.900 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाए।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmail.com Telefax.05942-236790

पत्रांकः— 2778 /12—1 दिनांक 14/11/2024

Forward CJ Kumar Hardcat

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः— **जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ़ के मौना—ल्वेशाल—कालापातल मोटर मार्ग के कि०मी० 10 से इण्टर कॉलेज व प्रा०पा० होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरौ तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिए के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रस्ताव के सापेक्ष रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु टोपोशीट मानचित्र, जियोरिफरेन्स मानचित्र तैयार किये गये हैं। उक्त मानचित्र एवं प्राक्कलन संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक :— उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेशित

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्राक्कलन बावत् जनपद नैनीताल के अन्तर्गत गौना ल्वेशाल कालापातल मोटर मार्ग के कि0मी0 10 ल्वेशाल इण्टर कॉलेज से प्राचीन कालीरो मंदिर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए प्राक्कलन

	कार्य का विवरण	मात्रा ईकाई		दर		योग
				प्रथम वर्ष		
	[illegible] (सर्वे डिमार्केशन, के0एम0एल0 फाईल [illegible] स्टॉक की गणना कार्य मृदा परीक्षण कार्य)	1.00	है0	1000.00	प्रति है0	1000.00
	[illegible] सफाई	1.00	है0	969.00	प्रति है0	969.00
	[illegible] घ0 मी0 प्रति है0 193 रु0 मी0 प्रति है0 [illegible]x0.45x1.15)	100.00	घ0 मी0	525.00	प्रति घ0 मी0	52500.00
	[illegible] (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 600 पौध	120.00	पौध	13.43	प्रति पौध	1611.60
	[illegible] कार्य (0-30x0-30x0.45)	100	गडडे	12.00	गडडे	1200.00
	[illegible] सुरक्षा कार्य 1– [illegible] 450 रु0मी0 (450x27=12150.00) (औसत [illegible]– 1x0.30x0.30) 2– [illegible] 2 स0 (2x5000=10000) (औसत [illegible] – 4x2.5x1.00) कुल योग– 22150.00	1	है0	22150.00	प्रति है0	22150.00
	[illegible] बटिया	1.00	है0	804.00	प्रति है0	804.00
	[illegible] विकास एवं अनुरक्षण कार्य–02 प्रतिशत	1.00	है0	2167.01	प्रति है0	2167.01
	मूल्यांकन एवं अभिलेखीरण – 0.50 प्रतिशत	1.00	है0	541.75	प्रति है0	541.75
	श्रम कल्याण कार्य– 0.50 प्रतिशत	1.00	है0	541.75	प्रति है0	541.75
	[illegible] क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, [illegible] इंधन व अन्य पर व्यय – 01 प्रतिशत	1.00	है0	1083.51	प्रति है0	1083.51
	कार्यालय व्यय–स्टेशनरी, हार्डवेयर / साफ्टवेयर–01 प्रतिशत	1.00	है0	1083.51	प्रति है0	1083.51
	अन्य आकस्मिक व्यय–01 प्रतिशत	1.00	है0	1083.51	प्रति है0	1083.51
					योग	**86735.64**
				द्वितीय वर्ष		
1	[illegible] खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)	100.00	गडडे	2.00	प्रति गडडा	200.00
2	[illegible] में बीज बुआई	450.00	रु0 मी0	1.30	प्रति रु0मी0	585.00
3	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 600 पौध	120.00	पौध	1.96	प्रति पौध	235.20
4	पौध ढुलान वाहन द्वारा 50 किमी0 दूरी से लोडिंग व अनलोडिंग सहित	100.00	पौध	9.00	प्रति पौध	900.00
5	सिर बोझ ढुलान 03 किमी0	100.00	पौध	7.15	प्रति पौध	715.00
6	पौध रोपण	100.00	पौध	3.47	प्रति पौध	347.00
7	निराई गुडाई प्रथम बार	100.00	पौध	1.16	प्रति पौध	116.00
8	निराई गुडाई द्वितीय बार	100.00	पौध	1.16	प्रति पौध	116.00
9	खाद / रसायन	100.00	पौध	0.35	प्रति पौध	35.00
10	देख–रेख व रख–रखाव 08 माह (कम से कम 05 है0 पर)(9880दर से 08 माह) 05 है0 =15808.00	1.00	है0	15808.00	प्रति है0	15808.00

11	सुर दीवाल/घेरबाड के बाहर 04 मी0 पट्टी साफ करना	1.00	है0	300.00	प्रति है0	300.00
12	वृक्षारोपण अर्न्तगत प्राकृतिक रूप से उगे पौधो मे सिंगलिंग--प्रूनिंग व थावलाबन्दी कार्य (100 प्रति है0)	1.00	है0	18.00	प्रति है0	1800.00
13	वृक्षारोपण क्षेत्र अर्न्तगत प्रति है0 450 कटिंग का रोपण कार्य	1.00	है0	1.15	प्रति है0	517.50
14	मूल्याकन एव अभिलेखीरण – 0.50 प्रतिशत	1.00	है0	483.17	प्रति है0	483.17
15	श्रम कल्याण कार्य- 0.50 प्रतिशत	1.00	है0	241.58	प्रति है0	241.58
16	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रख रखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय -- 01 प्रतिशत	1.00	है0	483.17	प्रति है0	483.17
17	कार्यालय व्यय--स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर--01 प्रतिशत	1.00	है0	483.17	प्रति है0	483.17
18	अन्य आकस्मिक व्यय--01 प्रतिशत	1.00	है0	966.33	प्रति है0	966.33
19	साइन बोर्ड लगाना (3X4 फीट) कम्प्लीट कार्य	1.00	है0	1000.00	प्रति है0	1000.00
					योग	**25332.12**
	तृतीय वर्ष– अनुरक्षण कार्य					
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है0 पर (9980 दर से प्रति माह)/5 है0 = 23712.00	1	है0	23712.00	प्रति है0	23712.00
2	20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति (पौध की कीमत व ढुलान का मूल्य रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा) वास्तविक क्षतिपूर्ति अनुसार मौके पर कार्य किया जायेगा	20	पौध	31.54	प्रति पौध	630.80
3	निराई–गुडाई प्रथम बार	100	पौध	1.16	प्रति पौध	116.00
4	निराई–गुडाई द्वितीय बार	100	पौध	1.16	प्रति पौध	116.00
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 04 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	300.00	प्रति है0	300.00
6	मूल्याकन एवं अभिलेखीरण – 01 प्रतिशत	1	है0	335.03	प्रति है0	335.03
7	श्रम कल्याण कार्य– 0.50 प्रतिशत	1	है0	167.51	प्रति है0	167.51
8	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रख रखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय – 01 प्रतिशत	1	है0	335.03	प्रति है0	335.03
9	कार्यालय व्यय--स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर–01 प्रतिशत	1	है0	335.03	प्रति है0	335.03
10	अन्य आकस्मिक व्यय--02 प्रतिशत	1	है0	670.06	प्रति है0	670.06
					योग	**26717.46**
	चतुर्थ वर्ष– अनुरक्षण कार्य					
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है0 पर (9980 दर से प्रति माह)/5 है0 = 23712.00	1	है0	23712.00	प्रति है0	23712.00
2	20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति (पौध की कीमत व ढुलान का मूल्य रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा) वास्तविक क्षतिपूर्ति अनुसार मौके पर कार्य किया जायेगा	10	पौध	31.54	प्रति सैकडा	315.40
3	निराई–गुडाई प्रथम बार	100	पौध	1.16	प्रति पौध	116.00
4	निराई–गुडाई द्वितीय बार	100	पौध	1.16	प्रति पौध	116.00

5	ु…ा दीवाल / घेरबाड के बाहर 04 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	300.00	प्रति है0	300.00
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीरण – 01 प्रतिशत	1	है0	240.12	प्रति है0	240.12
7	श्रम कल्याण कार्य– 0.50 प्रतिशत	1	है0	120.06	प्रति है0	120.06
8	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रख रखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय – 01 प्रतिशत	1	है0	240.12	प्रति है0	240.12
9	कार्यालय व्यय–स्टेशनरी, हार्डवेयर / साफ्टवेयर–01 प्रतिशत	1	है0	240.12	प्रति है0	240.12
10	अन्य आकस्मिक व्यय–02 प्रतिशत	1	है0	480.24	प्रति है0	480.24
					योग	25880.06
	पंचम वर्ष– अनुरक्षण कार्य					
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है0 पर (9930 दर से प्रति माह) / 5 है0 = 23712.00	1	है0	23712.00	प्रति है0	23712.00
2	निराई–गुडाई प्रथम बार	100	पौध	1.16	प्रति पौध	116.00
3	निराई–गुडाई द्वितीय बार	100	पौध	1.16	प्रति पौध	116.00
4	सुरक्षा दीवाल / घेरबाड़ के बाहर 04 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	300.00	प्रति है0	300.00
5	मूल्याकन एवं अभिलेखीरण – 01 प्रतिशत	1	है0	240.12	प्रति है0	240.12
6	श्रम कल्याण कार्य– 0.50 प्रतिशत	1	है0	120.06	प्रति है0	120.06
7	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रख रखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय – 01 प्रतिशत	1	है0	240.12	प्रति है0	240.12
8	कार्यालय व्यय–स्टेशनरी, हार्ड़वेयर / साफ्टवेयर–01 प्रतिशत	1	है0	240.12	प्रति है0	240.12
9	अन्य आकस्मिक व्यय–02 प्रतिशत	1	है0	480.24	प्रति है0	480.24
					योग	25564.66

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

उपयोगिता प्रमाण पत्र

जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ़ के मौना–ल्वेशाल–कालापातल मोटर मार्ग के कि०मी० 10 से इण्टर कॉलेज व प्रा०पा० होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरौ तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के सापेक्ष उत्तरी गौला वन क्षेत्र के अन्तर्गत मोरपत्यूड़ी कक्ष संख्या 15 में 1.00 है० अवनत वन भूमि में 100 वृक्षों का रोपण किया जा सकता है। यह अवनत वन भूमि रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है।

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

वन क्षेत्राधिकारी,
उत्तरी गौला वन क्षेत्र

डिजिटल मैप –जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मौना ल्वेशाल कालापातल मोटर मार्ग के किमी0 10 ल्वेशाल इण्टर कालेज से प्राचीन कालीरो मंदिर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में वन भूमि हस्तान्तरण

SoI Toposheet No: 53O10 & 53O11

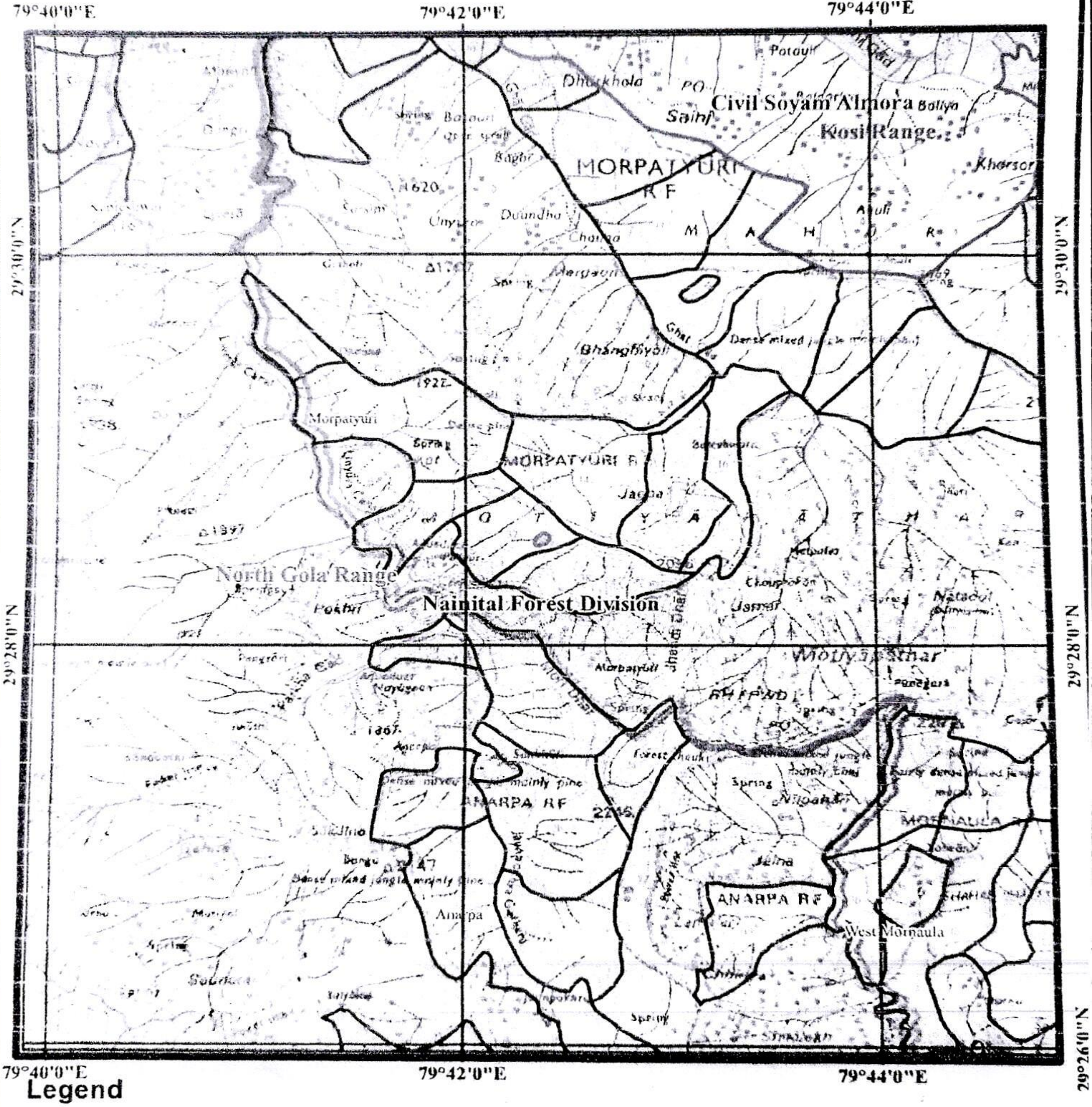

Legend

Proposed CA Land

Division_Boundary

Range_Boundary

Reserve_Forest Boundary

Reserve_Forest Area

0 0.375 0.75 1.5 2.25 3
Kilometers

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

Prepared by: UFTA, Haldwani

जियोरेफरेंसिंग मैप– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मौना ल्वेशाल कालापातल मोटर मार्ग के किमी0 10 ल्वेशाल इण्टर कालेज से प्राचीन कालीरो मंदिर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में वन भूमि हस्तान्तरण

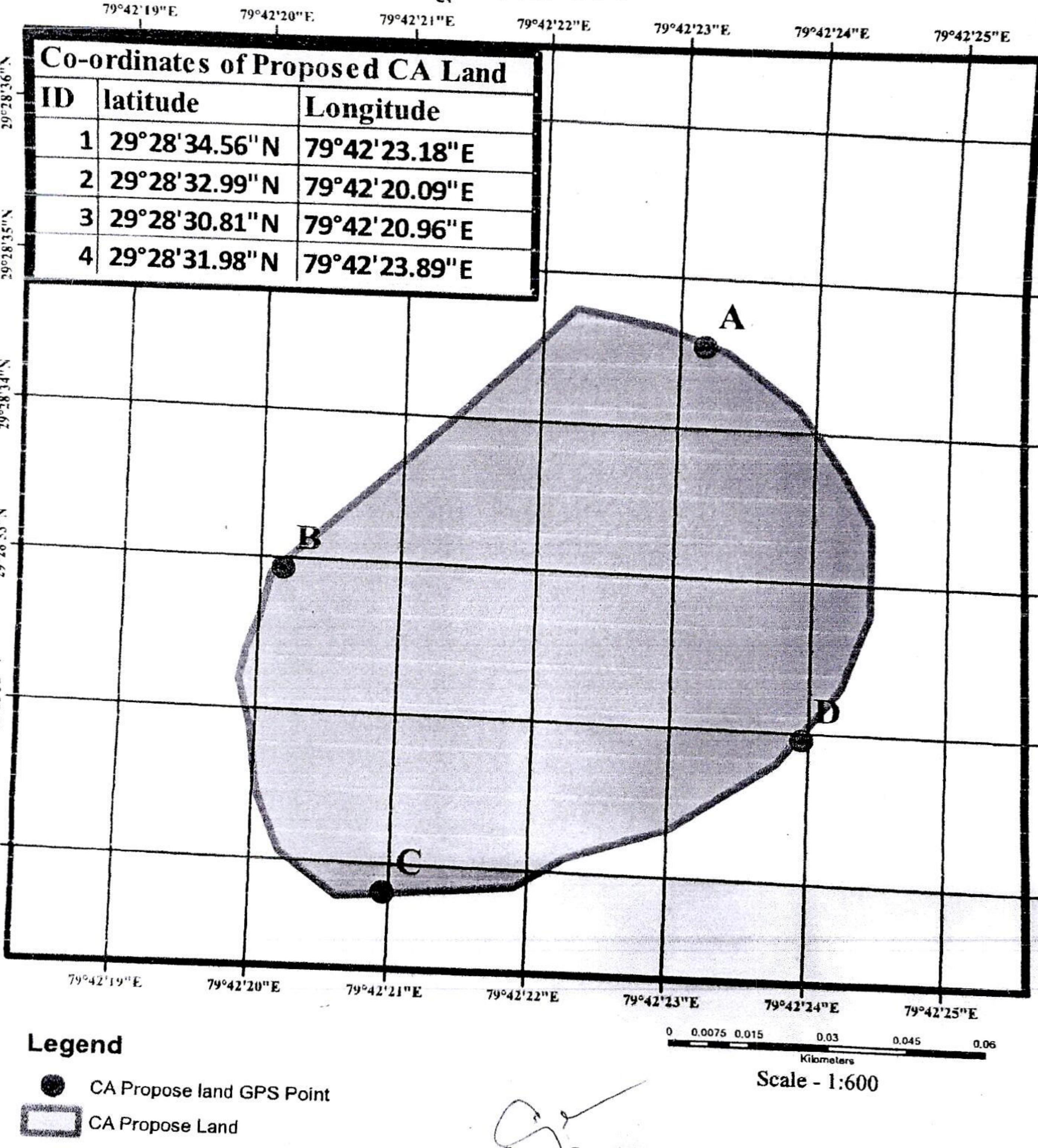

Co-ordinates of Proposed CA Land

ID	latitude	Longitude
1	29°28'34.56"N	79°42'23.18"E
2	29°28'32.99"N	79°42'20.09"E
3	29°28'30.81"N	79°42'20.96"E
4	29°28'31.98"N	79°42'23.89"E

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

Prepared by:UFTA, Haldwani

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

UTTARAKHAND

Email:-eecdntl.pwduk@gov.in, eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांकः– / दिनांकः–

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, नैनीताल।

विषयः– जनपद नैनीताल में मौना–ल्वेशाल–कालापातल मोटर मार्ग कि0मी0 10 से इंटर कॉलेज व प्रा0पा0 होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरौत तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.90 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– 138/FP/UK/ROAD/42523/2019 देहरादून दिनांक 13.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें नोडल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि, सैद्वानितक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या– 3(ख) के अनुपालन में पौधारोपण की योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं कोऑडिनेट अंकित करते हुये डिजिटल मानचित्र उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है, महोदय, उक्त कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।

अतः अनुरोध करना है कि विषयक प्रकरण में उक्तानुसार कार्यवाही कर आख्या नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि वन भूमि हस्तान्तरण में विधिवत स्वीकृति शीध्र प्राप्त की जा सके।

भवदीय

(इं0 संजय कुमार पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल

पत्रांकः– 10.38 /18 M.S. दिनांकः– 7-06-24

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्द्रनगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता–द्वितीय, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में व्यक्तिगत सम्पर्क कर अधोहस्ताक्षरी को समय–समय पर उद्यतन स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

उ0नि0 सं0/प्रभारी नैनीताल
आ0 का0 करें,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल
07/06/2024

13-6-24

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 132 / FP/UK/ROAD/42523/2019 :देहरादूनःदिनांकः 13 जुलाई, 2021

सेवा में,

श्री कुबेर सिंह बिष्ट,
वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमांऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

विषयः–जनपद–नैनीताल में मौना–ल्वेशाल कालापातल मोटर मार्ग के कि0मी0 10 से इण्टर कॉलेज व प्रा0पा0 होते हुए कटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरौ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.90 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल का पत्रांक 9822/13–कालापातल दिनांक 30.06.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी है, प्रेषित की गयी आख्या अपूर्ण है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या–3 (ख) के अनुपालन में पौधारोपण की योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुये डिजिटल मानचित्र उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दु की सूचना को सम्मलित करते हुये सैद्धान्तिक स्वीकृति की परिपूर्ण अनुपालन आख्या ऑनलाईन/ऑफलाईन (शर्तों का अनुपालन कॉलम बनाकर प्रेषित किया जाना है) यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 132 / FP/UK/ROAD/38411/2019 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 30.06.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
2–अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

E-mail:dfonainital_uta@yahoo.com Telefax.05942-236790

पत्रांकः– 9822 /13–कालापातल दिनांक 30/ 6 /2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

विषय :– जनपद–नैनीताल के अर्न्तगत विकास खण्ड रामगढ में मौना–ल्वेशाल कालापातल मोटर मार्ग के किमी0 10 से इन्टर कॉलेज व प्रा0पप0 होते हुये मटियाली से प्राचीन मन्दिर कालीरौ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन । प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/42523/2019)

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी0/यू0पी0सी0/06/132/2020/एफ0सी0/1585 दिनांक 20.10.2020. एंव आपकी पत्र सं01365/FP/UK/ROAD/42523/2019देहरादून, दिनांक 6.11..2020 अधिशासी अभियंता,निर्माण,खण्ड लो0नि0वि0नैनीताल का पत्रॉक 1272/18 एमजी दिनॉक 22–6–2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें । विषयगत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा निम्न प्रकार कर किया गया हैं ।

1– शर्त न0 3(क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव की धनराशि रू0 6,06,931.00 (रू0 छः लाख छःहजारः नौ सौ इक्तीस) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी हैं। संलग्नक–1 व 2

2– शर्त न0 5(क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रूपया 7,60,500.00(रू0 सात लाख साठी हजार पॉच सौ)मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी हैं । संलग्नक–1 व 2

शर्त न0 5(ख) के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। संलग्नक–4

3–शर्त न0 7 के अनुपालन में State govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work befor stage II approval as per guidelines para 11.2 The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year form the date of issue of such permission. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई हैं।

4–शर्त न0 9 के अनुपालन में एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई हैं।

5–शर्त न0 10 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमय साइनेज लगाए जाएंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई हैं।

6–शर्त न0 11 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नही के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया हैं ।

7–शर्त न0 16 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई हैं।

8–शर्त न0 20 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देष फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई हैं।

9–शर्त न0 21 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई हैं।

10–शर्त न0 22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे । राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षय में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलुवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एंव पुनजीवित करने का कार्य किया जायेगा । मलेवे को यथा स्थान रचाने हेतु दीवों बनाई जाएगी । निस्तारण स्थलो को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इसका स्थिलीकरण एवं सुधार कार्य योजना अनुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार की सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित अन्य शर्तो का अनुपालन आख्यॉ प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत की गई हैं । प्रयोक्ता एजेन्सी का पत्र मय संल्ग्नक के संलग्नक किया जा रहा हैं ।

संलग्नक– यथोपरि

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल ।

पत्रांक /उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि – वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊ वृत नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि :–अधिशासी अभियंता,निर्माण,खण्ड लो0नि0वि0नैनीताल को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

UTTARAKHAND

☎ :05942 –235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांक:– 1272 / 18mg दिनांक:- 22/06/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषय:– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ में मौना–ल्वेशाल कालापातल मोटर मार्ग के कि0मी0 10 से इन्टर कॉलेज व प्रा0पा0 होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरो तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.90 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन, (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/42523/2019)

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक /FP/UK/ROAD/42523/2019 दिनांक

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 08बी0/यू0सी0पी0/06/132/2020/एफ0सी0/1585 दिनांक 20.10.2020 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्तो के अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत प्रेषित है:–

1– शर्त संख्या–1, के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

2– शर्त संख्या–2, के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि (नापभूमि) को अधिग्रहित कर लिया गया है।

3– शर्त संख्या–3, प्रतिपूरक वनीकरणः– (क) खण्ड द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1800 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों के आधार) रू0 6,06,931.00 (छः लाख छः हजार नौ सौ इक्कतीस मात्र) वन विभाग के पक्ष में इस कार्यालय के पत्रांक 752/कैश दिनांक 31.03.2021 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक नैनीताल से नैफ्ट/आर0टी0जी0एस0चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। (संलग्नक–01 से 02) वन विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा, तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।

(ख) इस बिन्दु से संबंधित वांछित आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

4– शर्त संख्या–04 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत आन लाईन जमा करा दी गयी है। (संलग्नक–03)

5– शर्त संख्या–05 शुद्ध वर्तमान मूल्यः– (क) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रि0पि0(सि0) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिरनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0(14.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार मू0 7,60,500.00 (रू0 सात लाख साठ हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि 0.90 हैक्टयेर वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य/ एन0पी0बी0 आन लाईन जमा करा दिया गया है। (संलग्नक–03)

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को जमा करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक–04)

6– शर्त संख्या–06 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 63 trees including 11 saplings होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी का बचनबद्धता प्रमाण पत्र। (संलग्नक–05)

7– शर्त संख्या–07 के अनुपालन में "State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage-II, approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that on further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission ".शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8– शर्त संख्या–08, के अनुपालन में समस्त धनराशि ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राविधकरण फण्ड में स्थानान्तरित/ जमा किया गया है। कैम्पाकोष में जमा प्रति संलग्न है। (संलग्नक–03)

9– शर्त संख्या–9 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006, का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

10– शर्त संख्या–10 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साईनेज लगाया जायेगा।

11– शर्त संख्या–11 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

12– शर्त संख्या–12 के अनुपालन में आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौंधों की संख्या बढ़ा दी जायेगी।

13– शर्त संख्या–13 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

14– शर्त संख्या–14 के अनुपालन में वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

15– शर्त संख्या–15 के अनुपालन में मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।

16– शर्त संख्या–16 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर ही भूमि पर सीमांकन कराया जायेगा।

17– शर्त संख्या–17 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

18– शर्त संख्या–18 के अनुपालन में वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।

19– शर्त संख्या–19 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रतयावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

20– शर्त संख्या–20 के अनुपालन में इनमें, से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या–11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उसपर कार्यवाही होगी, मान्य है।

21– शर्त संख्या–21 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी मान्य है।

22– शर्त संख्या–22 के अनुपालन में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण पूर्व प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्रत मलवा नहीं फैंका जायेगा।

23– शर्त संख्या–23 के अनुपालन में यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश/ आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी, मान्य है।

24– शर्त संख्या–24 के अनुपालन में यह रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर प्रेषित की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक के अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार। तीन–तीन हार्ड प्रतियां कुल 5 पृष्ठ।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल

पत्रांकः- / दिनांकः–

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल

संलग्नक-1

नैनीताल।

☎ :05942 –235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांकः– 752/कैम्पा

दिनांकः– 31/03/2021

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक,
मल्लीताल, नैनीताल।

विषयः– बैंकर्स चैक संख्या 179309 दिनांक 30/03/2021 को Neft/Rtgs द्वारा दिये गये चालान के अनुसार भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विष्यक अवगत कराया जाना है कि, खण्ड के अन्तर्गत नव स्वीकृत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ में मौना–ल्वेशाला–कालापातल मोटर मार्ग के कि0मी0 10 में इण्टर कॉलेज से प्रा0पा0 होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरों तक मोटर मार्ग में एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का भुगतान वन विभाग के कैम्पा कोष में रू0 13,67,431.00 मात्र का Neft/Rtgs चालान के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु ऑन लाईन चालान जनरेट हुआ है, जिसमें उसका खाता अंकित है, में Neft/Rtgs के माध्यम से धनराशि जमा की जानी है।

अतः उक्तानुसार बैकर्स चैंक सं0 179309 दिनांक 30/03/2021 रू0 13,67,431.00 मात्र (तेरह लाख सड़सठ हजार चार सौ इकतीस) एवं ऑन लाईन के माध्यम से जनरेट चालान की प्रति सहित मूल में संलग्न कर भुगतान किये जाने हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है, कृपया जनरेट चालान के अनुसार अंकित खाते में यह धनराशि Neft/Rtgs के माध्यम से हस्तान्तरित करने की कृपा करें।

संलग्नः– 1– बैंकर्स चैक संख्या 179303 दिनांक 30/03/2021 रू0 13,67,431.00 मूल में।
2– ऑन लाईन के माध्यम से जनरेट चालान – 03 प्रति में।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल

o/c

Prachin Kaliro MR. -2

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 08-03-2021

Agency Name.	EE CD NAINITAL
Application No.	6142523828
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/132/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction division, P.W.D. NainitalNainital
Amount(in Rs)	1367431/-

Amount in Words :Thirteen Lakh Sixty-Seven Thousand Four Hundred and Thirty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	[illegible] Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003

** This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 08-03-2021

Agency Name.	EE CD NAINITAL
Application No.	6142523828
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/132/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction division, P.W.D. Nainital Nainital
Amount(in Rs)	1367431/-

Amount in Words :Thirteen Lakh Sixty-Seven Thousand Four Hundred and Thirty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	[illegible] Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003

** This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Nr. 320 C
Date ....

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Executive Engineer
Construction Div. P. W. D.
NAINITAL.

Executive Engineer
Construction Div. P. W. D.
NAINITAL.

संलग्नक-3

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ Help

Proposals received on or after 15th July 2014

GET LIST

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/39655/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/39655/2019) Construction of approach road from Nawali from Km. 11 of Laxmikhan-Nathuwakhan-Pura-Qurab motor road to Losgayani in Ramgarh Block of District Nainital	ROAD396552019996	6139655996	27 Jan 2021	CA: 631208/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 614952/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1246160/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 07 Mar 2021 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 08 Mar 2021 Transaction Date: 31 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/21126124712124CHF3dimondnotnawli.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD396552019996)
2	FP/UK/ROAD/42523/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/42523/2019) Construction of motor road from Matiyali to Prachin Mandir Kaliro through Km. 10 of Mauna-Lweshal- Kalapatal and Prathmik Pathshala in Ramgarh Block under Nainital district.	ROAD425232019828	6142523828	20 Oct 2020	CA: 606931/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 760500/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1367431/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 09 Feb 2021 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 08 Mar 2021 Transaction Date: 31 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1112812321212EAY32dimonadnotpracheenkaliro.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD425232019828)
3	FP/UK/ROAD/46607/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/46607/2020) New construction of motor road from Pangkatara to Khalar under developmental Betalghat of Vidhan Sabha constituency of Nainital district under state plan	ROAD466072020603	6146607603	18 Feb 2021	CA: 1153169/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1444950/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 2598119/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 09 Mar 2021 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 15 Mar 2021 Transaction Date: 31 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/3118123812193I1ICdemandnot.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD466072020603)

Photo Copy Attested
Photocopy attested
Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D. Nainital.

संलग्नक–4

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ में मौना–ल्वेशाल कालापातल मोटर मार्ग के कि0मी0 से इन्टर कॉलेज व प्रा0पा0 होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरौ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.900 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाए।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल।